

PUBLIC ORDER



In pursuance of the powers conferred vide section 59 of the Punjab Police Act, 2007, as applicable in Union Territory, Chandigarh, I hereby issue the following order regulating the time and the volume, at which music and other sound systems are used in connection with any performance and other activities in or near streets or any public place that cause annoyance to the resident of the neighbourhood:

“A loud speaker or a public address system or music and other sound systems shall not be used except after obtaining written permission from the Senior Superintendent of Police, Law and Order or the concerned Assistant Superintendent of Police or Deputy Superintendent of Police. The same shall not be used at night time i.e. between 10:00 PM and 06:00 AM except for communication within closed premises like auditoria, conference rooms, community halls, banquet halls and any such premises or during a public emergency. When used at closed premises as above said, a loud speaker or a public address system or music and other sound systems shall be played at such volumes which do not disturb the neighbourhood.”

The person found violating the above said order, shall be liable to be punished for it as per the provisions of the Punjab Police Act, 2007 and other laws in force.

**Senior Superintendent of Police,
Law & Order, UT Chandigarh**



सार्वजनिक आदेश

पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो कि केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में लागू हैं, के अनुपालन में, मैं एतद् द्वारा निम्नलिखित समय और ध्वनि की मात्रा को नियंत्रित करने का आदेश जारी करती हूँ, जिस पर संगीत और ध्वनि से जुड़ी अन्य प्रणालियों का उपयोग किसी भी प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों के दौरान सड़कों या किसी सार्वजनिक स्थान पर या आसपास होता है जो कि आसपास में रहने वाले निवासीयों की परेशानी का कारण बनता है-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लॉ एण्ड आर्डर या संबंधित सहायक पुलिस अधीक्षक या पुलिस के उप अधीक्षक की अनुमति के बिना किसी भी ध्वनि विस्तारक या जन संबोधन साधन या संगीत और ध्वनि से जुड़ी अन्य प्रणालियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही इसका इस्तेमाल रात के समय 10.00 बजे से और सुबह 06.00 बजे के बीच ऑडिओरिक्म, कॉन्फ्रेंस रूम, सामुदायिक हॉल, बैक्वेट हॉल और किसी भी इस तरह के बंद परिसर या सार्वजनिक आपातकाल के दौरान, के अतिरिक्त इसका संचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार ध्वनि विस्तारक या जन संबोधन साधन या संगीत और ध्वनि से जुड़ी अन्य प्रणालियों का इस्तेमाल उपरोक्त बंद परिसर में इतनी ही ध्वनि में किया जाएगा की जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रावधानों और अन्य कानूनों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ला एवं आर्डर
यूटी चंडीगढ़

Dainik Jagran Dt:11-02-2018

आइटी पार्क में बच्चों को दी गई स्किल ट्रेनिंग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : कालोनी व स्लम एरिया के बच्चों के टैलेंट को निखारने के लिए यूटी पुलिस ने शनिवार को आइटी पार्क में इंफोसिस के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया। डीजीपी तजिंदर सिंह लूथरा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम में एसएसपी नीलांबरी विजय जगदाले, डीएसपी जसविंदर सिंह, आइटी पार्क थाना प्रभारी राजीव कुमार, इंस्पेक्टर बलदेव कुमार व आइटी कंपनी के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दसवीं से गेजुएशन तक पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और कालोनी व स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को ने हिस्सा लिया। इंफोसिस के डेवलपमेंट सेंटर के इंचार्ज विकास अहुजा ने बताया कि प्रौद्योगिकी सूचना युवाओं के लिए काफी जरूरी है।

उन्होंने बताया कि इस दौरान 90 बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। उन्हें कम्प्युनिकेशन स्किल, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बुकिंग, कंप्यूटर टाइपिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में बताया गया है।

Dainik Jagran Dt:11-02-2018



सार्वजनिक आदेश

पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो कि केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में लागू हैं, के अनुपालन में, मैं एतद् द्वारा निम्नलिखित समय और ध्वनि की मात्रा को नियंत्रित करने का आदेश जारी करती हूँ, जिस पर संगीत और ध्वनि से जुड़ी अन्य प्रणालियों का उपयोग किसी भी प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों के दौरान सड़कों या किसी सार्वजनिक स्थान पर या आसपास होता है जो कि आसपास में रहने वाले निवासीयों की परेशानी का कारण बनता है -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ला एण्ड आर्डर या संबंधित सहायक पुलिस अधीक्षक या पुलिस के उप अधीक्षक की अनुमति के बिना किसी भी ध्वनि विस्तारक या जन संबोधन साधन या संगीत और ध्वनि से जुड़ी अन्य प्रणालियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही इसका इस्तेमाल रात के समय 10:00 बजे से और सुबह 06:00 बजे के बीच ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, सामुदायिक हॉल, बैंक्वेट हॉल और किसी भी इस तरह के बंद परिसर या सार्वजनिक आपातकाल के दौरान, के अतिरिक्त इसका संचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार ध्वनि विस्तारक या जन संबोधन साधन या संगीत और ध्वनि से जुड़ी अन्य प्रणालियों का इस्तेमाल उपरोक्त बंद परिसर में इतनी ही ध्वनि में किया जाएगा की जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रावधानों और अन्य कानूनों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ला एंव आर्डर
यूटी चंडीगढ़

R-50

Aaj Samaj Dt:11-02-2018